कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2019–20 / दिनांक :– 01/08/2019

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
....

विषय :– वर्ष 2019–20 के लिए 01–संवेतन उपमद में बजट आवंटन जारी करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त (आय व्ययक) विभाग का परिपत्र क्रमांक प.4(1)वित्त–1(1)/आ.व्य./2019 दिनांक 31.07.2019

—0—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के क्रम में विभाग के अधिनस्थ समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों (यथा जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (क्षेत्रीय कार्यालय), प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक) को वित्तीय वर्ष 2019–20 के शेष 08 माह के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं **PEEO** से सम्बन्धित लेखामदों के विस्तृत मद 01–संवेतन में बजट का आवंटन IFMS पर ऑनलाईन उपलब्ध करा दिया गया है। समस्त कार्यालय/विद्यालय अपने **IFMS** कोड पर बजट का मिलान कर वेतन एवं एरियर आदि का आहरण आवंटित बजट से कर सकेंगे।

जिन लेखामदों में केन्द्रीय सहायता एवं राज्य निधि दोनों में बजट का आवंटन किया गया है उसमें वेतन का आहरण केन्द्रीय सहायता अथवा राज्य निधि से आवंटन के अनुसार कर लिया जावे जिसके लिए बिल बनाने के पश्चात् कोषालय में बिल Forward करते समय राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता में आवंटित बजट की राशि पृथक–पृथक अंकित की जाए। यदि बजट की राशि केवल राज्य निधि में ही है तो उसमें से अथवा केन्द्रीय सहायता में उपलब्ध है तो जिस मद में उपलब्ध है उसी से बिल बना लिया जावे।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2019–20 / दिनांक :– 01/08/2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. समस्त कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, ...।
5. सिस्टम एनालिस्ट, कार्या. हाजा को विभागीय वैबसाईट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

D:\BUDGET\2019-20\25577-1920.docx